बिहार सरकार

बिहार विकास मिशन

-:आदेश:-

सं0सं0-बि0वि0मि0/नियुक्ति(02)-02/2017(खण्ड-II)-352.........पटना-23,दिनांक-13/06/2017

बिहार विकास मिशन के द्वारा पेशेवर एवं दक्ष व्यक्तियों का चयन Empanelled Agencies के माध्यम से किया जाना है। उक्त चयन की कार्रवाई तीन चरणों में किया जाना निर्धारित है। प्रत्येक चरण के Awarded Agency के द्वारा 1:3 अनुपात में Shortlisting कर अभ्यर्थियों की सूची पदवार एवं कोटिवार बिहार विकास मिशन को साक्षात्कार हेतु उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु गठित विभिन्न साक्षात्कार बोर्ड के द्वारा उक्त सूची में से अन्तर्वीक्षा के माध्यम से सुयोग्य एवं उच्च कोटि के पेशेवर लोगों का चयन किया जायेगा। मिशन के दायित्वों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि जिन पेशेवर एवं दक्ष व्यक्तियों का चयन किया जाय, वे अपने-अपने क्षेत्र में अग्रणी हों।

उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरांत साक्षात्कार के लिए विभिन्न कोटि के अभ्यर्थियों के चयन हेतु Cut-off marks, जिसके आधार पर Merit List, अंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची बनाया जाना है, निम्न रूप में निर्धारित किया जाता है:-

1. अनारक्षित (सा0)	-	60 प्रतिशत
2. अनारक्षित (महिला)	-	55 प्रतिशत
3. पिछड़ा वर्ग (सा0)	-	55 प्रतिशत
4. पिछड़ा वर्ग (महिला)	-	50 प्रतिशत
5. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (सा0)	-	52 प्रतिशत
6. अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	-	47 प्रतिशत
7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (सा0)	-	50 प्रतिशत
8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (महिला)	-	45 प्रतिशत

प्रस्ताव पर मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

13/6/17

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सदस्य सचिव
बिहार विकास मिशन।